संख्या-15/2022/1062ई-2/तेरह-2022-480936

प्रेषक,

राजवीर सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 **लखनऊ :दिनांक:: 06 जून, 2022**

विषय- मेसर्स गाजियाबाद आर्गेनिक्स लिमिटेड, ग्राम भोजपुर, तहसील मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद में पूर्व से स्थापित शीरा आधारित 50 कि.ली. प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के प्लान्ट को दोहरी फीड अर्थात् शीरे के साथ-साथ अनाज (ग्रेन) से अल्कोहल उत्पादन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-139/दो-प्रा.डी.-69, दिनांक 07-03-2022 तथा प्रकरण में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 26-05-2022 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या-1029ई-2/तेरह-2022-50/96-480936, दिनांक 31-05-2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 07-03-2022 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स गाजियाबाद आर्गेनिक्स लिमिटेड, ग्राम भोजपुर, तहसील मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद को आसवनी में पूर्व से स्थापित शीरा आधारित 50 कि.ली. प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के प्लान्ट को दोहरी फीड अर्थात् शीरे के साथ-साथ अनाज से अल्कोहल निर्माण किये जाने की अनुमति इस शर्त के प्रदान की जाती है कि आसवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा:-

(क) ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 में लगायी गयी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(ख) ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ग) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र दिनांक 28-01-2022 द्वारा जल हेतु एवं प्रमाण पत्र दिनांक 28-01-2022 द्वारा वायु हेतु कन्सेन्ट टू आपरेट में उल्लिखित शर्तें।

(घ) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।